।। कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार जयपुर-भरतपुर, रेन्ज जयपुर।।

क्रमांक : उ.म.नि/प्रहरी भर्ती 2018/एम.बी.सी/533-II/2022/8921-8930 दिनांक :- 14/11/2022

-::आदेश ::-

गृह विभाग के पत्रांक प.2(21)गृह-12/कारा/2009 पार्ट दिनांक 28.03.2022 के क्रम में प्रहरी भर्ती 2018 के तहत आरक्षित सूची में से अति पिछडा वर्ग (एम.बी.सी) के पदों की पूर्ति हेतु श्रीमान् महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक स्था./एच.ओ./प्र.भ/2018/पार्ट-2/84615-30 दिनांक 31.03.2022 द्वारा गठित चयन बोर्ड द्वारा चयनित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम-1998 के नियम 32 के अन्तर्गत प्रहरी भर्ती परीक्षा-2018 के तहत आरक्षित सूची में से एम.बी.सी. संवर्ग से जयपुर मण्डल में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थी का प्रहरी पद पर चयन किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित शर्तो के अधीन राजस्थान कारागार विभाग में दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिये जयपुर मण्डल में अस्थाई रूप से प्रहरी पद पर नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सामने अंकित कारागृह पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र. सं.	रजि. नं.	नाम आशार्थी मय पिता का नाम	चयन श्रेणी	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1	2	3	6	7	8
1.	40131125	अजीत कुमार पुत्र श्री जयसिंह	एम.बी.सी पुरूष	01.01.1997	उप कारागृह, खेतडी

उक्त नव नियुक्त अभ्यर्थी दिनांक 21.11.2022 तक नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन कारागृह पर आवश्यक रूप से उपस्थिति देंगे साथ ही ज्वाईनिंग निर्देश में वर्णित शपथ पत्र संलग्न प्रपत्र अनुसार तैयार करवाकर एवं 8 फोटो (जो कि मेडिकल परीक्षण के समय प्रस्तुत की गई थी), आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक आवश्यक रूप से साथ लेकर आऐंगे।

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ-डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानों के तहत रूपये 12800/- प्रतिमाह की दर से नियमित पारिश्रमिक देय होगा एवं परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही प्रहरी पद का पे मेट्रिक्स के लेवल-L-3 में न्यूनतम वेतन अनुज्ञात किया जायेगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
2. पूर्व से ही नियोजित अभ्यर्थी वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधान के अन्तर्गत पूर्व में आहरित वेतन का विकल्प प्रस्तुत कर सकते है।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की कालावधि में किसी प्रकार के अन्य भत्ते अनुज्ञात नहीं होगें एवं राज्य बीमा कटौती नियमानुसार नहीं होगी।
4. वित विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.12(2)एफ.डी/रूल्स/2022 दिनांक 19.05.2022 एवं आदेश क्रमांक प.2(2) वित्त(नियम)/2021 पार्ट दिनांक 26.05.2022 के अनुसार जी.पी.एफ की नियमानुसार कटौती होगी।
5. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F.5(5)FD/Insurance/2020 PART-II दिनांक 07.07.2021 के प्रावधान के तहत आर.जी.एच.एस की नियमानुसार कटौती की जावेगी।
6. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 के प्रावधान के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने के उपरान्त भी परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जावेगी।

2.

7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलैण्डर वर्ष में कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश देय होगा।

8. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नियमानुसार पद पर स्थाईकरण किया जावेगा। प्रशिक्षण एवं स्थाईकरण के संबंध में प्रचलित नियम, परिपत्र इत्यादि लागू होंगे।

9. कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.7(1)डी.ओ.पी./ए–II/95 दिनांक 08.04.2006 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के संबंध में कार्य ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों की संख्या दो से अधिक होगी तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

10. अभ्यर्थी को राजस्थान दहेज प्रतिशोध अधिनियम, 2004 के अनुसार विवाहित होने पर उपस्थिति देने के समय तथा अविवाहित होने पर विवाह के पश्चात निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है।

11. अभ्यर्थी को राज्य सरकार के आदेश कमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.13 की पालना में धुम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने की वचन बद्धता (UNDERTAKING) देनी होगी।

12. आशार्थी परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि समाप्ति से पूर्व यदि राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देना चाहेंगें, अन्य पद ग्रहण करना चाहेंगें तो ऐसा करने से पूर्व उन्हें परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त समस्त वेतन एवं भत्ते व उनके प्रशिक्षण पर हुये व्यय की राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करानी होंगी। अभ्यर्थी को इस संबंध में विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करना होगा।

13. यह नियुक्ति राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों, आदेशों व शर्तो के अध्यधीन है।

14. नव नियुक्त अभ्यर्थी के द्वारा पदस्थापन कारागृह पर उपस्थिति देने हेतु कोई नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नही होगा ।

15. यह कि अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 21.11.2022 तक उपस्थिति प्रदान नहीं की जाती है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावें।

–ED–

(मोनिका अग्रवाल)
उप महानिरीक्षक कारागार,
जयपुर–भरतपुर रेन्ज,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप–12) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर।
5. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।

6. अधीक्षक, जिला कारागृह, झुंझुनूं को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिक से वांछित शपथ पत्र प्राप्त कर वेतन इत्यादि की समस्त औपचारिकताऐं शीघ्र पूर्ण करावें। शपथ पत्र अनुसार दिनांक 01.06.2002 के बाद दो से अधिक संतान होने की स्थिति में अविलम्ब इस कार्यालय को अवगत कराया जावें।
7. प्रभारी, प्रशिक्षण शाखा, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपर।
8. प्रभाराधिकारी, उप कारागृह, खेतडी।
9. श्री .....को प्रेषित कर लेख है कि बंध पत्र (पचास रूपये के स्टाम्प पर), दहेज न लेने के संबंध में, धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने एवं संतानों के संबंध में शपथ–पत्र, सलंग्न. प्रपत्र अनुसार, आधार कार्ड (मूल) एवं मेडीकल के समय प्रस्तुत फोटो 6 प्रति में आवश्यक रूप लेकर निर्धारित तिथि को यथा समय पर अपनी उपस्थिति पदस्थापन कारागृह पर दिनांक 21.11.2022 तक आवश्यक रूप से देवें। (शपथ–पत्रों के प्रारूप संलग्न है)
10. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय कारागार, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
11. संबंधित की निजी पत्रावली/रक्षक पत्रावली।

उप महानिरीक्षक कारागार,
जयपुर–भरतपुर रेन्ज,
जयपुर।

संतानों की संख्या के संबंध में शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ....., निवासी .... सशपथ बयान करता/करती हूँ कि

1. यह कि मेरे दिनांक 01/06/2002 से पूर्व संतानों की संख्या ..... है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	सन्तान का नाम	सम्बन्ध	जन्म तिथि

2. यह है कि दिनांक 01.06.2002 के पश्चात सन्तानों की संख्या ..... है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	सन्तान का नाम	सम्बन्ध	जन्म तिथि

हस्ताक्षर शपथकर्ता/शपथकर्ती

विवाह के समय दहेज न लेने व भविष्य में नहीं लेने के संबंध में शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र ....., निवासी .... सशपथ बयान करता हूँ कि "मेरा विवाह श्रीमति ..... पुत्री श्री .... से दिनांक ..... को हुआ था। विवाह में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया है।"

अथवा

मैं ..... पुत्र ....., निवासी .... सशपथ बयान करता हूँ कि "मैं अभी अविवाहित हूँ तथा भविष्य में होने वाले विवाह में किसी प्रकार का दहेज नहीं लूगां।"

हस्ताक्षर शपथकर्ता

अनुबंध बंध का प्रपत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... आयु ....वर्ष ....., जाति ..... निवासी .... शपथ पूर्वक बयान करता/करती हँ कि मेरा प्रहरी पद पर परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर के आदेश क्रमांक ..... दिनांक के आदेशानुसार चयन हुआ है।

मेरा प्रहरी पद पर उपस्थिति दिनांक से दो वर्ष की अवधि में राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देना चाहूँगा/चाहूँगी तो ऐसा करने से पूर्व मुझे प्रशिक्षण अवधि में मेरे द्वारा प्राप्त समस्त वेतन व भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुए व्यय की राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करवा दूँगा/दूँगी ।

स्थान :

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं उपरोक्त बन्ध पत्र निष्पादनकर्त्ता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त बन्ध पत्र की समस्त बातें मेरी निजी जानकारी में सही व सत्य हैं

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अनुप्रमाणित

श्री/सुश्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु ..... वर्ष, जाति ..... निवासी .... को अनुप्रमाणित करता हूँ।

हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक

धूम्रपान व गुटखा सेवन नहीं करने का शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ....., निवासी .... सशपथ बयान करता/करती हूँ कि "मैं धूम्रपान एवं गुटखा का सेवन नहीं करता/करती हूँ। भविष्य में भी मैं धूम्रपान एवं गुटखा आदि का सेवन नहीं करूँगा/करूँगी।

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथकर्ता/शपथकर्ती